प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.03.2026

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सुनार की दुकान में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सफेद धातु के आभूषण व अन्य सामान बरामद ।

दिनांक 26.03.2026 को वादी श्री विजय सौनी पुत्र स्व सोहन लाल सौनी, निवासी-मनं0-1243, पुराना विजय नगर, के द्वारा थाना विजयनगर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का सटर खोलकर सफेद धातु व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये आज दिनांक 31.03.2026 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. निशान्त कुमार उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी गाँव बरसिया थाना बडौत जनपद बागपत ।हाल निवासी छिजारसी गली न0 1 इण्डियन ओवरसीज बैक के पास लक्ष्मी के मकान मे किराये पर सेक्टर 63 थाना सेक्टर 63 गौतमबुद्धनगर 2. अकील पुत्र जरीफ निवासी गाँव नवादा थाना गजरौला जनपद अमरोहा हाल निवासी छिजारसी कालोनी विलाल मस्जिद वाली गली थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर को आईपीएम कॉलेज अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 26.03.2026 की रात्रि में हमारे द्वारा सैक्टर 9 विजयनगर में एक सुनार की दुकान में उसका सटर खोल कर उसमें चोरी की थी तथा चोरी के सामान को हमारे द्वारा आपस में बराबर बांट लिया था। आज हम दोनों अपने हिस्से के सामान को बेचने के लिये घूम रहे थे।

अभियुक्त का नाम व पता –

निशान्त कुमार उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी गाँव बरसिया थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी छिजारसी गली न0 1 इण्डियन ओवरसीज बैक के पास लक्ष्मी के मकान मे किराये पर सेक्टर 63 थाना सेक्टर 63 गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष।

2.अकील पुत्र जरीफ निवासी गाँव नवादा थाना गजरौला जनपद अमरोहा हाल निवासी छिजारसी कालोनी विलाल मस्जिद वाली गली थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 15 अंगूठी सफेद धातु ।
2. 04 स्वास्तिक , 06 पद चिन्ह , 01 त्रिशुल , 08 पान के पत्ते , 02 आयताकार आकृति , 07 ओम आकृति , 08 आंख आकृति , 01 कछुआ , 04 मानव आकृति , 06 हाय लिखी आकृति , 05 नाग, सफेद धातु के व 09 नग तांबा धातु के।
3. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16FM0508 स्पलेंडर काले रंग धारा 207 एमवी एक्ट।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 35,989/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक आलोक कुमार निवासी डीएलएफ अकुंर विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 35,989/- रुपये आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक आलोक कुमार निवासी डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन ठगी की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के 35,989/- रुपये की धनराशि को होल्ड कराया गया तथा अग्रिम कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित मर्चेन्ट से पत्राचार कर अथक प्रयासों के बाद आवेदक उपरोक्त को 35,989/-रुपये की कुल धनराशि वापस करायी गयी। आवेदक द्वारा थाना अंकुर विहार पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार साइबर सेल टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.03.2026 को वादी ने तहरीर दी कि अभियुक्त गौतम पुत्र राजू निवासी ग्राम मनोली थाना मुरादनगर गाजियाबाद आदि के द्वारा वादी की पत्नी को वादी की पुत्री की अश्लील फोटो व वीडियो दिखाते हुए वायरल करने की धमकी देना, जिससे आहत होकर वादी की पत्नी के द्वारा फाँसी लगा लेना। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 108/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 31.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गौतम पुत्र राजू निवासी ग्राम मनोली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त गौतम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादी की पुत्री से दोस्ती थी, मैंने वादी की पुत्री के साथ अश्लील फोटो-विडियो बना लिये थे। वादी की पत्नी को इस बात का पता लग गया था तो वह हमारे घर पर शिकायत करने आयी थी, मेरे परिवार वालों ने उसे बुरा भला कह दिया, उसकी बहुत बेईज्जती की और मैंने वादी की बेटी की अश्लील फोटो व विडियो वादी की पत्नी को दिखाते हुए फोटो व विडियो वायरल करने की धमकी दी थी, जिसके कारण वादी की पत्नी ने दुःखी होकर आत्महत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त गौतम पुत्र राजू निवासी ग्राम मनोली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 31.03.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त 1.शान मौहम्मद पुत्र इसराईल निवासी मस्जिद का मकान बिलाल मस्जिद के पास गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2.सिराजू पुत्र असलम मलिक निवासी मस्जिद का मकान बिलाल मस्जिद के पास गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को इनाम विहार फातिमा मस्जिद के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा- 318(4)/345(3)/317(5)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी जिससे आज हम दोनों सभापुर में मैरिज होम के पास और गाडी चोरी करने के लिए आये थे। इस मोटरसाइकिल का प्रयोग हम दोनों चोरी की घटना कारित करने में करते है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल की आगे की नम्बर प्लेट हटा दी है और मोटरसाइकिल पर पीछे की तरफ फर्जी नम्बर प्लेट लगायी है जिससे कि हम लोग पकड़ में ना आ सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.शान मौहम्मद पुत्र इसराईल निवासी मस्जिद का मकान बिलाल मस्जिद के पास गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

2.सिराजू पुत्र असलम मलिक निवासी मस्जिद का मकान बिलाल मस्जिद के पास गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त सिराजू उपरोक्त पर थाना लोनी पर लूट, आर्म्स एक्ट व बरामदगी का 01-01 मुकदमा व उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली पर 01 मुकदमा व बरामदगी का 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर (कुल 05 अभियोग) तथा अभियुक्त शान मौहम्मद पर उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली पर 01 मुकदमा व बरामदगी का 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.11.2024 को थाना अंकुर विहार पर आवेदक श्री राशिद कुरैशी द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी ताज मौहम्मद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी के प्लाट पर कब्जा कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर घटना पुरानी होने के कारण भादवि की सुसंगत धारा-420/467/468/471/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 31.03.2026 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त ताज मौहम्मद पुत्र स्व नूर मौहम्मद निवासी वर्तमान पता-115 प्रताप विहार गांव मिर्जापुर थाना विजय नगर गाजियाबाद मूल पता-मोइद्दीनपुर कनावनी इंद्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच में आकर प्लाट पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत धोखाधडी से फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
ताज मौहम्मद पुत्र स्व नूर मौहम्मद निवासी वर्तमान पता- प्रताप विहार गांव मिर्जापुर थाना विजय नगर गाजियाबाद मूल पता- मोइद्दीनपुर कनावनी इंद्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी किये हुए 50000/- रुपये बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 29.03.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री सैलेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 23.03.2026 को मैं अपने काम हेतु घर से चला गया था और शाम को जब में वापस लौटा तब किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर अलमारी से 350000 रु चोरी कर लिये है। प्राप्त तरहीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 331(4),305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम में दिनांक 29.03.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सोहेल पुत्र गफ्फार निवासी झुग्गी न0 ई43/ए 390 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली हाल पता पप्पू कालोनी गली न0 04 कब्रिस्तान के पास थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को 80 फुटा कट वजीराबाद रोड के किनारे बने पार्क के कोने से 50000/-रुपये के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त सुहैल उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब आज से 5-6 दिन पहले रात में छावडा कालोनी में एक घर का कुन्दा तोडकर अलमारी में रखे करीब 75000 रुपये चोरी किये थे। जिनमें से कुछ रुपये मैने नशे में व दोस्तो के साथ मौज मस्ती में खर्च कर दिये थे। जो रुपये मुझसे मिले है ये रुपये वहीं है जो मेरे द्वारा घर में अलमारी को तोडकर चोरी किये गये रुपयो में से शेष बचे रुपये है। मैने जिस प्लास से मकान की कुन्दी तोडी थी उस प्लास को मैने नाले में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोहेल पुत्र गफ्फार निवासी झुग्गी न0 ई43/ए 390 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली हाल पता पप्पू कालोनी गली न0 04 कब्रिस्तान के पास थाना शालीमार गार्डन कमि0 गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी,एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किये हुए 50000/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 92,546/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 24.03.2026 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को शिकायतकर्ता श्रीमती प्रिया रानी निवासी सै0 4 वैशाली, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद के साथ हुए आनलाइन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी के सम्बंध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत के सम्बंध में साइबर सैल थाना कौशाम्बी के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये को शिकायतकर्ता की पूर्ण धनराशि 92,546/- रुपये वापस कराई गई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता श्रीमती प्रिया रानी निवासी सै0 4 वैशाली, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद के साथ हुए आनलाइन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी कर 92,546/- रुपये के सम्बंध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक

31.03.2026 को वादिया से ऑनलाइन ठगी की कुल धनराशि 92,546/- वादिया को वापस करवाई गई ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 03 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 31.03.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सिहानी गेट के मु0अ0स0 125/2026 धारा 191(2)/190/109(1)/125 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया व 03 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – डीपीएसजी स्कूल लोहियानगर के सामने परीक्षा समाप्ति के उपरांत निक कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार उर्फ बंटी निवासी 56, कोट गांव (नियर शगुन पब्लिक स्कूल), थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष एवं उसका साथी रोहित पुत्र विनोद कुमार निवासी भारत धर्म कांटा, पंचकूला थर्ड सी, लाल कुआं थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 17 वर्ष के साथ गीता संजय मेमोरियल स्कूल के छात्र आदित्य प्रजापति द्वारा अपने फुफेरे भाई दीक्षांत प्रजापति व अन्य साथियों के साथ मिलकर हैलमेट व ईंट से मारपीट की घटना की गई। उक्त के संबंध में पूर्व में भी आपसी विवाद होना प्रकाश में आया है। घटना में निक कुमार एवं रोहित के सिर में चोटें आई हैं, जिसमें रोहित की स्थिति सामान्य है जबकि निक कुमार को अचेत अवस्था में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उक्त घायल निक का इलाज चल रहा है।

कृत कार्यवाही –

घायल छात्र निक के पिता आवेदक सुनील कुमार की तहरीर के आधार पर उक्त घटना के संबंध में मु0अ0सं0 125/26 धारा 109(1)/125/3(5) बीएनएस बनाम 1. आदित्य प्रजापति, 2. दिक्षांत प्रजापति व 3. अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना वादी/मजरूब के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, मेडिकल परीक्षण एवं सीसीटीवी फुटेज एवं परिस्थितिजनक साक्ष्य के अवलोकन से फिलहाल अभियुक्तों एवं बाल अपचारी—

अभियुक्त क्रिश कीरवाल उर्फ चिराग पुत्र विनोद कुमार निवासी नेहरू नगर-2, ई-ब्लॉक, गाजियाबाद (उम्र 18 वर्ष)

अभियुक्त तरुण सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी नेहरू नगर-2, ई-ब्लॉक, गाजियाबाद (उम्र 18 वर्ष) के नाम प्रकाश में आए, घटना में शामिल शेष अन्य लड़को के बारे के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। त्वरित कार्यवाही करते हुए 05 युवकों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

विवेचना के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 190/191(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त दो हेलमेट व ईंटों के टुकडे

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता

1. अभियुक्त क्रिश कीरवाल उर्फ चिराग पुत्र विनोद कुमार नि0 म0न0 104 नेहरुनगर -2 ई ब्लॉक गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष।
2. अभियुक्त तरुण सिंह पुत्र आजाद सिंह नि0 म0न0 104 नेहरुनगर -2 ई ब्लाँक गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष।
3. 03 बाल अपचारी।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों व बाल अपचारी के विरुद्ध पूर्व में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम श्री रवि कुमार (विवेचक) द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 498A/304B भादवि व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 में अभियुक्त राहुल अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी 5981A, प्रथम तल हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पॉकेट 1 नियर लक्षशिला स्कूल, सेक्टर-03 बेलागढ, फरीदाबाद, हरियाणा को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद, द्वारा आज दिनांक 31.03.2026 को धारा 498A भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 304B भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अखिलेश कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आरक्षी नीरज कुमार** पैरोकार थाना इंदिरापुरम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन व0उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (विवेचक) द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राजेश चन्द शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना विजयनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-304 भादवि में अभियुक्त 1. ताराचन्द पुत्र अतर सिंह 2. जोगेन्द्र पुत्र तिलकराम 3. सुरेन्द्र पुत्र तिलकचन्द निवासीगण तिलक बिल्डिग मैटीरियल स्टोर, सम्राट चौक थाना विजयनगर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 31.03.2026 को धारा- 304 भादवि में प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र के साथ निर्दयतापूर्वक लाठी डंडो से हमला कर घायल करके मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 24.05.2013 को थाना विजयनगर पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री राजेश चन्द शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	**मु0आ0 जितेन्द्र कुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आरक्षी देवेन्द्र** पैरोकार थाना विजयनगर